

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :- 2/अ0प्र0-1-01/24

32

/पटना, दिनांक :- 27-6-24

श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति निलंबित द्वारा कार्य प्रमंडल, जमुई अंतर्गत निर्माणाधीन अमीन खैरा से ढाब पथ का कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराया गया है, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि श्री बादल के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विकास कुमार साह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया को निदेश दिया जाता है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

(डॉ० फातेह फैयाज)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-01/24

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-01/24

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री विकास कुमार साह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त।

संयुक्त सचिव

२६/६/२४ ०९/२४ (२)

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-01/24 1931 /पटना, दिनांक :- 27.6.24  
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,  
पटना/विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख के आप्त  
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,  
पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/बेतिया/प्रशाखा पदाधिकारी,  
प्रशाखा-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-01/24 1931 /पटना, दिनांक :- 27.6.24  
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव